

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक: 17.09.2020

एक शातिर चोर चोरी की गयी ज्वैलरी के साथ थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर श्री संतोष कुमार सिंह के आदेशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक दीक्षित कुमार त्यागी थाना कोतवाली नगर के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 16/17.09.2020 की रात्रि में थाना कोतवाली नगर पर नियुक्त उ0नि0 विनोद कुमार मय पुलिस फोर्स के क्षेत्र में तलाश वांछित व संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग में मामूर थे कि मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि एक शातिर चोर रोडवेज बस अड्डे पर खड़ा है। इस सूचना पर उ0नि0 विनोद कुमार मय पुलिस फोर्स द्वारा तत्काल त्वरित कार्यवाही करते हुए रोडवेज बस अड्डे से समय करीब रात्रि 20.28 बजे एक शातिर चोर बबलू उर्फ सलाम को चोरी के ज्वैलरी सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1- बबलू उर्फ सलाम पुत्र असमीर निवासी गांव चिड्डा थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर

बरामदगी का विवरण-

1- 01 चैन पीली धातु, 02 जोड़ी बिछुवे सफेद धातु, 01 जोड़ी पाजेब सफेद धातु, 01 अंगुठी पीली धातु, 01 जोड़ी झुमकी पीली धातु

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त बबलू उर्फ सलाम जिसके द्वारा दिनांक 28.08.2020 को अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर रोडवेज बस में सवार श्रीमती पूजा पत्नी गौरव निवासी मौ0 ईसापुरम थाना गांगानगर जनपद मेरठ के बैग से ज्वैलरी - 4 अंगुठी, 1 चैन, 1 जोड़ी झुमकी, 1 जोड़ी पाजेब, 1 जोड़ी खुडुवे, 2 जोड़ी बिछुवे व 20,000 रुपये चोरी करने की घटना कारित की गई थी तथा अभियुक्तगण द्वारा चोरी किये गये सामान को आपस में बाट लिया था। उक्त घटना के संबंध में दिनांक 16/09/2020 प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर मुअसं-1231/20 धारा 379/411 भादवि पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त के फरार साथी की गिरफ्तारी के प्रयास भी किये जा रहे हैं। अभियुक्त बबलू उर्फ सलाम के विरुद्ध जनपद के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, चोरी आदि संगीन अपराधों के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है-

अभियुक्त बबलू उर्फ सलाम का आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0- 108/03 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर।

2- मु0अ0सं0- 100/04 धारा 110जी सीआरपीसी थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर।

3- मु0अ0सं0- 182/04 धारा 323/324/504 भादवि थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर।

4- मु0अ0सं0- 282/13 धारा 147/148/149/307/452/504/506 भादवि थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर

5- मु0अ0सं0- 23/14 धारा 110जी सीआरपीसी थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर।

6- मु0अ0सं0- 1231/20 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के नाम-

1- दीक्षित कुमार त्यागी प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर

2- उ0नि0 विनोद कुमार, का0 सचिन कुमार